न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण 41/2023

बनाम

1. देशराज पुत्र परसाराम जाति महाजन निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।

– प्रार्थी

बनाम

1. कमला पत्नी ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. नेतराम पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
3. भीमसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
4. राजेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
5. रामकुमार पुत्र परसाराम जाति महाजन निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
6. राजवीरसिंह पुत्र अन्तरसिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
7. रोशनी पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास त0 भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
9. पीएनबी शाखा जरिये प्रबंधक गांधीबडी।
10. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।

—अप्रार्थीगण

<u>प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम</u>

श्री संदीप गोदारा प्रार्थी
श्री कपूरचंद शर्मा वकील अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता सं0 20/43 में कुल 4.3010है0 खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त मुश्तर्का की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका मौखिक भाई बंटवारा होने के बाद अपने अपने हिस्सा अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे थे। परन्तु अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 ने बिना खाता व लगान अलग करवायें ही पूर्व में भी अप्रार्थी सं0 6 को भूमि विक्रय कर दी थी। एवं वर्तमान में भी अप्रार्थीगण बिना खाता व लगान अलग करवाये भूमि की अच्छी किस्म को बैचान करने पर उतारू है। अतः प्रार्थी ... निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को पाबन्द करवा पाने के कानूनी अधिकारी है ... करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे।।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:45:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सूचना तलब किया गया। रजिस्ट्र्ड डाक से तामिल होने पर भी अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित एवं अप्रार्थी सं0 7 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता सं0 20/43 में कुल 4.3010है0 खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त मुश्तर्का की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका मौखिक भाई बंटवारा होने के बाद अपने अपने हिस्सा अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे थे। परन्तु अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 ने बिना खाता व लगान अलग करवायें ही पूर्व में भी अप्रार्थी सं0 6 को भूमि विक्रय कर दी थी। एवं वर्तमान में भी अप्रार्थीगण बिना खाता व लगान अलग करवाये भूमि की अच्छी किस्म को बैचान करने पर उतारू है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वे विवादित भूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच उक्त विवादित भूमि को लेकर किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा मौखिक बंटवारे की बात लिखी गई है परन्तु बंटवारे का कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया है। एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दर्ज प्रावधानों कि सहखातेदार द्वारा किसी भी अन्य सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा लिया जाना कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारीज किया जावे।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई पत्रावली क ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः**—प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी है। उक्त भूमि के विभाजन का मूल वाद न्यायालय हाजा में जैरकार है। अप्रार्थीगण के साथ साथ प्रार्थी भी वाद भूमि का सहखातेदार है। अप्रार्थीगण ने पूर्व में भी वाद भूमि को बैचान किया है एवं अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र में किये गये कथन कि अप्रार्थी बैचने के लिए स्वतंत्र है से साबित है कि अप्रार्थी उक्त वाद भूमि को बिना खाता व लगान अलग करवाये बिना ही बैचान करने पर आमदा है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

2 **सुविधा का संतुलनः**— अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। उक्त वाद भूमि संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना खाता व लगान अलग करवाये यदि किसी अजनबी व्यक्ति अथवा अन्य को भूमि का बैचान किया जाता है तो वाद बाहुल्तया बढ़ने के साथ—साथ प्रार्थी को भूमि की अच्छी किस्म का नुकसान होने वाला नूकसान होगा एवं अधिकतम असुविधा होगी। यदि अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:15:48 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा वाद भूमि का बैचान किया जाता है तो वाद बाहुलता के साथ-साथ पत्रावली की न्यायालय प्रकिया में भी जटीलता उत्पन्न होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है।

3. **अपूर्णीय क्षतिः**— उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्सा अनुसार खाता विभाजन अलग करने बाबत वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्नानुसार स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने पर स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता सं0 20/43 में कुल 4.3010है0 भूमि को **ताफैसला वाद बैचान ना करें** एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार उभपक्ष रहन हेतु स्वतंत्र होंगे ।

निर्णय आज दिनांक 24.1.25 .....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:45:48 IST
Reason: SelfAttested